पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 111 /अका./का.प./03 रायपुर, दिनांक 27 दिसंबर, 2003

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 27.12.2003 को 5.00 बजे कुलपति कक्ष में आहूत की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे –

1.	प्रो. बी.पी. चन्द्रा, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	डॉ. एम.एल. नायक	-	सदस्य
3.	डॉ. ओ.पी. वर्मा	-	सदस्य
4.	प्रो. जी.एल. मूंदड़ा	-	सदस्य
5.	डॉ. डी.के. कटारिया	-	सदस्य
6.	डॉ. ए.के. बंसल	-	सदस्य
7.	डॉ. ए सी. जैन	-	सदस्य
8.	डॉ. शैलेन्द्र सराफ	-	सदस्य
9.	डॉ. (कु.) हेमलता महोबे	-	सदस्य
10.	डॉ. (श्रीमती) गीता तिवारी	-	सदस्य
11.	श्री भागवत प्रसाद चन्द्राकर	-	सदस्य
12.	श्री ए. मिंज, कुलसचिव	-	सचिव

कार्यवृत्त –

1. दिनांक 28 जनवरी, 2004 को विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह आयोजन के संबंध में विचार विमर्श।

निर्णय : दीक्षांत समारोह के लिए 10 लाख रुपए बजट के अनुसार कार्यपरिषद ने सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

2. कार्यपरिषद की दिनांक 10 जुलाई, 2003, 21 अगस्त, 2003, 20 सितंबर, 2003, 14 अक्टूबर, 2003, 27 नवंबर, 2003, तथा 06 दिसंबर, 2003 को आहूत आपातिक बैठकों के कार्यवृत्त की संपुष्टि करना।

निर्णय : सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई।

3. परीक्षा पारिश्रमिक में वृद्धि के संबंध में अशासकीय महाविद्यालयों के गैरशैक्षणिक तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों ने मांग की है कि विद्यमान दर 15 वर्ष पुरानी है अत: सत्र 2003–04 से नया दर लागू किया जाना चाहिए, जो निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

क्र.	मद	विद्यमान दर	प्रस्तावित दर	संशोधित दर
1	परीक्षा आवेदन–पत्र अग्रेषण	10=00	20=00	20=00
2	अंकसूची वितरण	1=00	5=00	2=00
3	परीक्षा आवेदन–पत्र विक्रय	00=25	2=00	2=00

परीक्षा पारिश्रमिक देय

अ. तृतीय श्रेणी कर्मचारी	1=00	5=00	2=00
ब. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1=00	5=00	2=00
स. प्रायोगिक कार्य में संलग्न कर्मचारियों को	1=00	5=00	2=00

(अधिकतम 25 रु

निर्णय : सर्वसम्मति से परीक्षा पारिश्रमिक में नये दरों को उपरोक्तानुसार संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।

4. श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा महाविद्यालय, रायपुर में नियुक्ति के संबंध में।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा महाविद्यालय का नियुक्ति प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और यह प्रकरण कार्यपरिषद के अधिकार क्षेत्र के बाहर है।

5. कार्यपरिषद की आपातिक बैठक दिनांक 07.04.2000 में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से आदेश क्रमांक 1753/सा.प्रशा./2000 दिनांक 13.04. 2000 के द्वारा निम्नांकित कर्मचारियों को उनके सम्मुख दर्शाये गये कारणों से निलंबित किया गया।

क्र.	नाम	निलंबन का कारण
1.	श्री एम.आर सपहा कनिष्ठ अधिक्षक	छात्रों की विधि विरुद्ध ढंग से फ़र्ज़ी अंकसूची कर देने में सहभागी होने के कारण तथा पद का दुरूपयोग करने के कारण।
2.	श्री प्रकाश ठाकुर नि.व.लि.	फ़र्जी अंकसूची तैयार कर देने में सहभागी होने के कारण तथा पद का दुरुपयोग करने के कारण।
3.	श्री नितिश तिवारी नि.व.लि.	छात्र के रूप में परीक्षा फार्म के साथ फ़र्ज़ी अंकसूची प्रस्तुत करने के कारण।

निलंबित कर्मचारियों को आरोप पत्र आदि दिये गये हैं। डॉ. आर.डी. हेलोडे, मनोविज्ञान अध्ययनशाला को जाँच अधिकारी और डॉ. सुरेश मोहन, वरिष्ठ अधिक्षक को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा (सहायक कुलसचिव की ओर से) श्री नितिश कुमार तिवारी के विरुद्ध इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1154 दिनांक 30.03.2000 द्वारा फ़र्ज़ी अंकसूची प्रस्तुत करने के संबंध में एफ.आई.आर. दर्ज़ किया गया था, अन्य कर्मचारी सर्व श्री एम.आर. सपहा एवं श्री प्रकाश ठाकुर के विरुद्ध में कोई प्रथम सूचना पुलिस थाना सरस्वती नगर में दर्ज़ नहीं है। थानेदार भारतीय दंड विधान के अंतर्गत श्री नितिश तिवारी के विरुद्ध में ही न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रायपुर के समक्ष चालान पेश किया है। न्याय दंडाधिकारी के आदेश दिनांक 26.11.2001 से 06.082003 तक आदेश की सत्प्रतिलिपि प्रमाणित पेश किया गया। इससे स्पष्ट है कि श्री नितिश तिवारी के अलावा और किसी भी

व्यक्ति के विरुद्ध में न्यायालय में प्रकरण दर्ज़ नहीं है। विभागीय जाँच भी पूर्ण हो गई है और सुनवाई आरोपी कर्मचारियों के विरुद्ध की जा रही है। चूँकि सुनवाई पूरी हो चुकी है और केवल दो ही कर्मचारियों को छोड़ कर सिर्फ श्री नितिश तिवारी के ख़िलाफ़ ही न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रकरण विचारधीन है तथा कार्यपरिषद के निर्णय के आधार पर ही निलंबन किया गया था।

निर्णय : सर्वसम्मति से प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि विभागीय जाँच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही करने हेतु नियमानुसार विश्वविद्यालय को प्रशासनिक निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

6 विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों के शुल्क की दरों में वृद्धि पर विचार करना :–

		वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
(1)	नाम/उपनाम परिवर्तन शुल्क	50/–	100/–
(2)	डुप्लीकेट प्रवजन प्रमाण–पत्र	75/–	150/–
(3)	पी.एच–डी.	200/–	400/–
(4)	इंगलिश ट्रांसक्रीप्ट	50/–	100/–
(5)	अंकसूची सत्यापन	50/–	100/–

निर्णय : सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

7 विश्वविद्यालय विद्या परिषद की स्थाई समिति की दिनांक 22.12.2003 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से

विषय क्र. 8 भवन निर्माण समिति में नये सदस्यों के मनोनयन के संबंध में निर्णय लेना।

निर्णय : भवन निर्माण समिति के दो सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त निम्नलिखित सदस्यों को इस समिति में मनोनीत किया गया –

कार्यपरिषद के द्वारा मनोनीत – 1. प्रो. एम.ए. खान 2. डॉ. जी. सेन

सदस्य योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड – 1. श्री बी.आर. ठाकुर

विषय क्र. 9 पं. रविशंकर शुक्ल की मूर्ति लगाये जाने के संबंध में निर्णय लेना।

निर्णय : सर्वसम्मति से पं. रविशंकर शुकल की मूर्ति लगाये जाने का कार्यपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। आवश्यकता पड़ने पर दूसरे मद से भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

विषय क्र. 10 क्रीड़ा समिति की बैठक 20.11.2003 के कार्यवृत्त की स्वीकृति की सूचना ग्रहण करने के संबंध में।

निर्णय :- क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 20.11.2003 की कार्यवृत्त की स्वीकृति की सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्र. 11 परीक्षकों को यात्रा भत्ता प्रदान करने के संबंध में।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि प्रायोगिक परीक्षा के लिए महाविद्यालय एवं विभाग में आने वाले परीक्षकों को या भत्ता प्रदान किये जाने हेतु संबंधित विभाग प्रमुख को यात्रा भत्ता अग्रिम दिया जाए।

विषय क्र. 12 विश्वविद्यालय में हिन्दी एवं पर्यावरण विषय के पाठ्यक्रम को सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय :- सर्वसम्मति से हिन्दी एवं पर्यावरण विषय के पाठ्यक्रम की स्वीकृति दी गई।

अंत में कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया गया कि पिछले दो वर्षो आयोजित दीक्षांत समारोह में दिये गये सहयोग की तरह जनवरी 2004 में होने वाले दीक्षांत समारोह में सहयोग की अपेक्षा की गई। साथ ही सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद दिया गया।

कुलपति

कुलसचिव

पृ. क्र. 112/अका./2003

रायपुर, दिनांक 27 दिसंबर, 2003

प्रतिलिपि :

01. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.),
02. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, रायपुर,
03. सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, रायपुर,
04. डॉ. एम.एल. नायक, आचार्य, बायो-साइंस अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
05. डॉ. ओ.पी. वर्मा, आचार्य, क्षेत्रीय अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
06. प्रो. आर.सी. मेहरोत्रा, रायपुर,
07. डॉ. एस. सराफ, फ़ार्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
08. प्रो. जी.एल. मूंदड़ा, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
09. डॉ. (कु.) हेमलता महोबे, प्राचार्य, दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगाँव,
10. श्री अशोक कुमार बंसल, प्राचार्य, बी.पी. देव महाविद्यालय, कांकेर,
11. डॉ. अमीरचंद जैन, शासकीय कमलादेवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगाँव,
12. श्री भागवत प्रसाद चन्द्राकर, अर्जुन्दा, जिला दुर्ग,
13. पं. रामसुन्दर दास महंत, दूधाधारी वैष्णव मठ, रायपुर,
14. डॉ. (श्रीमती) गीता तिवारी, प्राचार्य, शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर,
15. डॉ. युगल भारती, प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर,
16. श्री रामलाल भारद्वाज, विधायक (पलारी क्षेत्र), बी-4, अयोध्या अपार्टमेंट, रायपुर,
17. श्री ललित सुरजन, प्रधान सम्पादक, देशबन्धु, रायपुर,

18. डॉ. डी.के. कटारिया, शास. आयुर्वेदिक महाविद्यालय, रायपुर,
19. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
20. वित्त अधिकारी/आवासीय अंकेक्षण, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव